

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 4203] No. 4203] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 2019/पौष 9, 1941 NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2019/PAUSHA 9, 1941

गृह मंत्रालय

(सीटीसीआर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4705(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 788 (अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2011 और का.आ. 2536 (अ), दिनांक 9 अगस्त, 2017 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार इलाहाबाद न्याय क्षेत्र के उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ के तीसरे वरिष्ठतम न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोदिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए (पार्ट-I)]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

6726 GI/2019 (1)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(CTCR DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2019

S.O. 4705(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 788 (E), dated the 26th April, 2011 and S.O. 2536 (E) dated the 9th August, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Judicature at Allahabad, hereby designates the 3rd Senior Most Court of Additional District and Sessions Judge, Lucknow as the Special Court for the purpose of subsection (1) of section 11 of the above said Act for the trial of the Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Uttar Pradesh.

[F. No. 11011/06/2019/NIA (Part-I)] PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.